भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

RBE No. 72 /2014

No. E(P&A)I-2009/FE-2/1

New Delhi, dated 11.07,2014.

The General Managers/FA&CAOs,
All Indian Railways and Production Units etc.

Sub: Extraordinary leave in continuation with Maternity Leave without production of Medical Certificate - treatment of this period as qualifying service - PNM/AIRF Item No. 6/2009.

Ref: Board's letter No. E(P&A)I-2001/CPC/LE-8 dated 24.12.2001.

AIRF had raised a demand in the PNM Forum in respect of treatment of the period of EOL taken in continuation of Maternity Leave without the Medical certificate as qualifying service. The issue was discussed in the PNM Meetings, and it has been decided to reiterate the instructions already issued vide above referred letter dated 24.12.2001 that the period of EOL taken without Medical Certificate in continuation of Maternity Leave would not count for qualifying service and for the purpose of grant of increment. In order to ensure that the employees become aware of these provisions, extensive publicity may be given to these instructions.

2. Kindly acknowledge receipt.

Director, Estt.(P&A), Railway Board.

No. E(P&A)I-2009/FE-2/1

New Delhi, dated 11.07.2014.

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2009/FE-2/1

New Delhi, dated 11.07.2014.

Copy to FA&CAO, All Indian Railways & Production Units etc.

Director, Estt.(P&A),

Railway Board.

Contd......2/-



भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(पी एण्ड ए)।-2009/एफई-2/1

आरबीई सं. 72 /2014 (03 हि)

आरबीई सं. 72 /2014 नई दिल्ली, दिनांक ॥ **07.2014**

्महाप्रबंधक, उ० प० दे०, जयपुट

सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।

1311 Shurt

विषय:- प्रस्ति-अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली असाधारण छुट्टी - इस अविध की अर्हक सेवा के रूप में गिनती करना - पीएनएम/एआईआरएफ मद संख्या 6/2009.

संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 24.12.2001 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)।-2001/सीपीसी/एलई-8.

एआईआरएफ ने पीएनएम फोरम में प्रस्ति-अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली असाधारण छुट्टी की अविध की अर्हक सेवा के रूप में गिनती करने का मामला उठाया था। इस मामले पर पीएनएम की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था और दिनांक 24.12.2001 के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा पहले से जारी निर्देशों को दोहराने का विनिश्चय किया गया, कि प्रस्ति-अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना मिलने वाली असाधारण छुट्टी की अविध को अर्हक सेवा के रूप में और वेतनवृद्धि देने के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को इन प्रावधानों के बारे में जानकारी हो, इन अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए।

2. कृपया पावती दें।

(के. शंकर)

निदेशक, ई(पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)।-2009/एफई-2/1

नई दिल्ली, दिनांक 11-07.2014

प्रतिलिपि डीआईए (रेलें), नई दिल्लीं को अग्रेषित(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

9681

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड

my godzel

1791